



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 583 राँची, मंगलवार, 3 अग्रहायण, 1942 (श०)
24 नवम्बर, 2020 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

19 नवम्बर, 2020

संख्या-एल0जी0-24/2017-385/लेज0 झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर माननीय राज्यपाल दिनांक-09/11/2020 को अनुमति दे चुकीं हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 (झारखण्ड अधिनियम संख्या- 07, 2020)

झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम 2005 (झारखण्ड अधिनियम 05, 2006) में संशोधन हेतु अधिनियम ।

एतद द्वारा भारतीय गणतंत्र के एकहतरवे वर्ष में झारखंड राज्य के विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो -

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ:-

- (1) यह अधिनियम झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 कहा जाएगा।
- (2) यह पूरे झारखण्ड राज्य में लागू होगा।
- (3) इसे 13 अगस्त, 2020 से प्रवृत्त माना जाएगा।

2. धारा 35 में संशोधन— धारा 35 की उपधारा (8) में एक परंतुक निम्नवत् जोड़ा जाएगा:-

‘परंतुक यह कि कर-निर्धारण वर्ष 2016-17 हेतु उप-धारा (6) के अन्तर्गत कर-निर्धारण 31 अगस्त, 2020

तक किया जा सकेगा।‘

3. धारा 39 में संशोधन – धारा 39 की उपधारा (1) में प्रथम परंतुक के पश्चात एक परंतुक निम्नवत् जोड़ा जाएगा:-

‘परंतुक यह और कि कर-निर्धारण वर्ष 2014–15 हेतु धारा 37 अथवा 38 के अन्तर्गत कर-निर्धारण 5 वर्ष की समाप्ति के उपरांत भी दिनांक 31 अगस्त, 2020 तक किया जा सकेगा।‘

4. धारा 40 में संशोधन - धारा 40 की उपधारा (4) में एक परंतुक निम्नवत् जोड़ा जाएगा:-

‘परंतुक यह कि कर-निर्धारण वर्ष 2014–15 या उसके कुछ भाग हेतु, धारा 40 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत कर-निर्धारण एवं पुनः कर-निर्धारण 5 वर्ष की समाप्ति के उपरांत भी दिनांक 31 अगस्त, 2020 तक किया जा सकेगा।‘

5. धारा 42 में संशोधन – (1) धारा 42 की उपधारा (1) में एक परंतुक निम्नवत् जोड़ा जाएगा:-

‘परंतुक यह कि सक्षम प्राधिकार उक्त न्याय-निर्णय या आदेश के अनुरूप, कर-निर्धारण एवं पुनः कर-निर्धारण दिनांक 31 अगस्त, 2020 तक कर सकेगा जो दिनांक 31 मार्च, 2020 तक किया जाना था।‘

(2) धारा 42 की उपधारा (2) में एक परंतुक निम्नवत् जोड़ा जाएगा:-

‘परंतुक यह कि जहां कोई न्यायालय या न्यायाधिकारण अपील या पुनरीक्षण में इस आशय का आदेश जारी करता है कि इस अधिनियम या केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अधीन निर्धारित कर को इस अधिनियम के अधीन निर्धारित न करके किसी अन्य विधि या उपबंध के अधीन निर्धारित किया जाना चाहिए तो उस आदेश के परिणामस्वरूप अथवा आदेश में वर्णित निदेश या निष्कर्ष को लागू करने के लिए उस आवर्त या उसके किसी भाग का यथास्थिति कर निर्धारण अथवा पुनः कर निर्धारण अन्यथा लागू परिसीमन अवधि के होते हुए भी इस आदेश के जारी करने की तारीख जो 31 मार्च, 2020 तक की जानी थी, को दिनांक 31 अगस्त, 2020 तक किया जा सकता है।‘

6. धारा 79 में संशोधन - धारा 79 की उपधारा (7) में एक परंतुक निम्नवत् जोड़ा जाएगा:-

‘परंतुक यह कि इस धारा के अन्तर्गत दिनांक 31 मार्च, 2020 तक पारित किए जाने वाले आदेश को दिनांक 31 अगस्त, 2020 तक पारित किया जा सकेगा। ‘

7. निरसन एवं व्यावृत्तियाँ:- झारखंड मूल्यवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2020 एतद द्वारा निरसित किया जाता है। ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा अथवा के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्गत आदेश, अधिसूचनाएं एवं अन्य कोई भी कार्यवाही या अन्य कोई कार्य इस अधिनियम द्वारा या के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन किया गया था, की गयी समझी जाएगी, मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था, जिस दिन यह कार्य किया गया था, अथवा कार्रवाई की गयी थी।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

संजय प्रसाद,

प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी

विधि विभाग, झारखंड, राँची।

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

19 नवम्बर, 2020

संख्या-एन0जी0-24/2017-386/लेज0 झारखंड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक-09/11/2020 को अनुमत झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारत का संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

Jharkhand Value Added Tax (Amendment) Act, 2020

(Jharkhand Act No. 07, 2020)

An Act to amend Jharkhand Value Added Tax Act, 2005 (Jharkhand Act 05, 2006)

Be it enacted by the Legislature of Jharkhand in the seventy one year of the Republic of India as follows -

1. Short title, extent and commencement –

- (1) This Act may be called the Jharkhand Value Added Tax (Amendment) Act, 2020.
- (2) It shall extend to the whole of the State of Jharkhand.
- (3) It shall be deemed to have come into force from 13th August, 2020.

2. Amendment in section 35 : In sub- section (8) of the Section 35, a proviso shall be added in the following manner:-

“Further provided that for the assessment year 2016-17, the assessment under sub-section (6) shall be made until 31st August, 2020.”

3. Amendment in Section 39: In sub- section (1) of the Section 39, after first proviso, a proviso shall be added in the following manner:-

“Provided that for the assessment year 2014-15, the assessment under Section 37 or 38 can also be made after the expiry of five years till 31st August, 2020.”

4. Amendment in Section 40: In sub- section (4) of the Section 40, a proviso shall be added in the following manner:-

“Provided that for the assessment year 2014-15 or part thereof, the assessment or re-assessment under sub-section (1) of Section 40 can also be made after the expiry of five years till 31st August, 2020.”

5. Amendment in Section 42 : (1) In sub- section (1) of the Section 42, a proviso shall be added in the following manner:-

“Provided that the prescribed authority may proceed to reassess the tax payable by the dealer in accordance with such judgment or order, which was to be reassessed

until 31st March, 2020, till 31st August, 2020. ”

(2) In the sub- section (2) of the Section 42, a proviso shall be added in the following manner:-

“Provided that, where any Court or Tribunal passes an order in appeal or revision to the effect that any tax assessed under this Act or the Central Sales Tax Act, 1956 should have been assessed under the provision of a law other than that under which it was assessed, then in consequence of such order or to give effect to any finding or direction contained in such order such turnover and part thereof, may be assessed or reassessed, as the case may be, to a tax at which it was to be assessed or reassessed notwithstanding the applicable limitation period until 31st March, 2020, till 31st August, 2020.”

- 6. Amendment in Section 79:** In the sub- section (7) of the Section 79, a proviso shall be added in the following manner:-

“Provided that order under this section can be made, which was to be made until 31st March, 2020, till 31st August, 2020. ”

- 7. Repeal and Saving:** The Jharkhand Value Added Tax (Amendment) Ordinance, 2020 is hereby repealed. Notwithstanding such repeal, all rules, orders and notifications published, proceedings and any other action taken in the exercise of powers conferred by or under the said Act shall be deemed to have been done or taken in exercise of power conferred by or under this Act, as if, this Act was in force on the day on which such thing were done or action taken.

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

संजय प्रसाद,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची।
